

मध्य प्रदेश शासन
विमानन विभाग
भोपाल

पृ.क्र.0 एक 3-1/2012/पैतालीस

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

कलेक्टर, जिला
शाखा
म.प्र. शासक/आपीएक/भा.प्र.अधी.

19 APR 2012

विषय-नवीन शासकीय हेलीकॉप्टर के लिये अस्थाई हेलीपैड बनाने हेतु दिशा-निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत नवीन शासकीय हेलीकॉप्टर के लिये जिले में 4 अस्थाई हेलीपैड निर्माण करने हेतु दिशा निर्देश एवं सावधानियां अपेन्डिक्स-अ तथा हेलीपैड का आयाम (संख्या) अपेन्डिक्स-ब में संलग्न प्रेषित है ।

उक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अस्थाई हेलीपैड का निर्माण करवा जाना के उपरान्त निम्नानुसार विवरण संचालक, विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के फॉक्स नम्बर 0755-2641271 / aviationdirectorat@yahoo.co.in पर तत्काल भिजवाये जाना का कार्य करें :-

1. शहर/गांव का नाम
2. अक्षांश/देशांतर
3. लम्बाई/चौड़ाई
4. सतह
5. निकटस्थ आसरोधों की जानकारी
6. संपर्क अधिकारी का नाम/पदनाम/फोन/मोबाईल/फैक्स आदि

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

(ज.सी.भट्ट)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

पृ.क्र.0 एक 3-1/2012/पैतालीस


प्रतिलिपि:-



संचालक, विमानन संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर उनके ज्ञापक क्रमांक एफ-42/1/हेलीपैड/496 दिनांक 09.04.2012 के संदर्भ में सूचनाएं एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

कालिका कलेक्टर जिला अम्बाला (म.प्र.)
दिनांक 20/4/2012 3674
शामलिन दि. 27-4-12
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग
2. उपरलि. अ. (210) शामलिन | जैरत जं. | जोगगुं. | लि. लवाकी | करेली | गौ. हर. जं. के
की ओर संचालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित सूचना
शासन वि. 27/4/12 कार्यवाही- सुनिश्चित करें।


नवीन शासकीय हेलीकॉप्टर के लिये हेलीपैड बनाने हेतु दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सावधानियां

1. सभी पुराने स्थाई/अस्थायी हेलीपैड पुनरावलोकन/विस्तृत जानकारी के पश्चात ही उपयोग में लाये जावेंगे ।
2. नये हेलीपैड का निर्माण अपेंडिक्स-बी के अनुसार सुनिश्चित किया जावे ।
3. हेलीपैड का निर्माण बस्ती के बाहर, खुले मैदानी क्षेत्र में किया जावे ।
4. बेरीकेडिंग आसानी से टूट जाने वाली पतली लकड़ी/बांस द्वारा किया जावे जिसकी उँचाई चार फीट से ज्यादा न हो ।
5. अपेन्डिक्स-बी में दर्शाये अनुसार बैरीकेडिंग के भीतर 250 मीटर व्यास में कोई पेड़/इमारत या बिजली/टेलीफोन का खंदा नहीं होना चाहिये ।
6. हेलीपैड की भार क्षमता 5000 किलोग्राम (5 टन) की होनी चाहिये ।
7. अस्थायी हेलीपैड के निर्माण में गोबर का तीन बार लेप होना चाहिये । आसपास की जमीन झाड़ू से अच्छी तरह साफ करने के बाद पानी का भरपूर छिड़काव करना चाहिये ताकि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय मिट्टी/बजरी आदि न उड़े ।
8. हेलीपैड के समीप/उपर पुष्प पंखुडियों, कागज या तन्बू/कनात आदि नहीं होनी चाहिये । ऐसे निर्माण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बर्त धराशायी हो सकते हैं ।
9. यदि पक्का हेलीपैड अपेन्डिक्स-ब के अनुरूप बना हो, उस दशा में अस्थायी हेलीपैड नहीं बनाना चाहिये । पक्के हेलीपैड को झाड़ू लगाकर अच्छी तरह धो देना चाहिये, ताकि लैंडिंग के समय धूल/बजरी न उड़े ।
10. हवा का रुख स्मोक (धुँए) के द्वारा दर्शाया जावे, जो हेलीपैड से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो ।
11. उपरोक्त वर्णित मापदंडों एवं सावधानियों का संपूर्ण रूप से पालन जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा जिससे हेलीकॉप्टर की उड़ाने सुरक्षित एवं सुगम रूप से संचालित की जा सके ।


 संचालक विमानन
 म.प्र.शासन



Obstruction should not be more than 3% i.e. 8m at the distance of 250m from barricades.



(From 7.2m to 25.0m obstructions should not be more than 3% i.e. at a distance of 25.0m obstruction should not be more than 8m in any case.)